फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुला
केम्प कोर्ट बोरखेडा

हरिकिशन पिता श्रीराम जाट बनाम राजस्थान राज्य जरिये
निवासी– गढवालों का खेडा तहसीलदार हुरडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
08.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट बोरखेडा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी ने कथन किया कि आराजी मुतदाविया वादी की पुश्तैनी हक अधिकारों की आराजीयात है जो राजस्व रिकार्ड में वादी व अन्य के नाम दर्ज चली आ रही है । वादी का नाम हरिकिशन पिता श्रीराम जाट है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम श्रीकिशन पिता श्रीराम दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के समस्त राजकीय दस्तावेजों में इसका नाम हरिकिशन पिता श्रीराम जाट दर्ज है । अन्त में कथन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट के स्थान पर हरिकिशन पिता श्रीराम जाट दर्ज करवाया जावें । उपस्थित पैरोकारराज ने कथन किया कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट दर्ज है । प्रार्थी हरिकिशन पिता श्रीराम के नाम से जाना जाता है तथा श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट के नाम का कोई व्यक्ति नही है । प्रार्थी के आधार कार्ड , राशन कार्ड, में भी उसका नाम हरिकिशन पिता श्रीराम जाट अंकित है । अन्त में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट के बजाय हरिकिशन पिता श्रीराम जाट दुरुस्त किया जाना उचित है । मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मौजा गढवालों का खेडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 7 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर– 347 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, अराजी नम्बर 349 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 537/7 रकबा 04 बीघा, आराजी नम्बर– 576/7, रकबा 1 बीघा , आराजी नम्बर– 721/576 रकबा 03 बिस्वा तथा ग्राम परडोदास की जमबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की आराजी नम्बर– 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 किता 7 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा भूमि श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट के नाम अन्य खातेदारों के साथ दर्ज रिकार्ड होना तथा जालिमपुरा पटवार हल्का सरेरी तहसील हुरडा की आराजी नम्बर – 117 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि श्रीकिशन पिता श्रीराम साहिक गढवालों का खेडा के

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

यहाँ वादी का कथन है कि उसका नाम हरिकिशन पिता श्रीराम जाट है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट अंकित कर दिया गया है । जिसे दुरुस्त करवाना चाहा है । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा भारत सरकार का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के खाते की फोटोप्रतियॉ प्रस्तुत की गई । उक्त सभी दस्तावेंजात में वादी का नाम हरिकिशन पिता श्रीराम जाट अंकित होना प्रकट आया है। तथा पैरोकारराज के द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा के अनुसार भी वादी को हरिकिशन पिता श्रीराम जाट के नाम से ही जाना पहचाना जाता है । ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किया जाने योग्य है ।

::—निर्णय::—

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा गढवालों का खेडा तहसील हुरडा की आराजी नं.— 7 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, 347 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, 349 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 537/7 रकबा 04 बीघा , 576/7 रकबा 01 बीघा , 721/576 रकबा 03 बिस्वा, ग्राम परडोदास तहसील हुरडा की अराजी नम्बर— 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 किता 7 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा तथा ग्राम जालिमपुरा पटवार हल्का सरेरी की आराजी नम्बर— 117 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा के खातदार श्रीकिशन पिता श्रीराम जाट के स्थान पर हरिकिशन पिता श्रीराम जाट अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें । डिकी पर्चा मूर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कार्ट बोरखेडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner